न्यायालय आर्बिट्रेटर (जिला कलक्टर) नागौर
पीठासीन अधिकारी–डॉ0 अमित यादव, आई.ए.एस.

भूमि अवाप्ति मध्यस्थता इजराय प्रार्थना पत्र संख्या :–93/2021
जी.सी.एम.एस. नं.–2021/194

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सलीम पुत्र मोहम्मद उर्फ मेहमूद आयु 46 वर्ष जाति छींपा मुसलमान निवासी डेगाना तहसील डेगाना जिला नागौर।		1. भारत संघ जरिये सचिव, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली 2. उप सचिव (राष्ट्रीय राजमार्ग) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर। 3. प्राधिकृति अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर। 4. प्रोजेक्ट मैनेजर, नेशनल हाईवे, आर्थोरिटी ऑफ इण्डिया, पीआईयू,–अजमेर–104 आर्दश नगर, अजमेर 3050001

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री विकम जोशी।
2. अप्रार्थी संख्या–1, 3 व 4 की ओर से वकील श्री डूंगरराम चौधरी।

:: **आदेश** :: **दिनांक :–12.09.2023**

1– भूमि अवाप्ति मध्यस्थता प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या–119/2017 सलीम बनाम भारत संघ वगैरह में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 की पालना हेतु प्रार्थी सलीम द्वारा यह इजराय दिनांक 16.09.2021 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

2– हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा बावजूद तामिल सुनवाई कार्यवाही में भाग नहीं लिया।

3–(1)–अप्रार्थीगण संख्या 1,3,4 की ओर से वकील श्री डूंगराराम द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का जबाब दिनांक 20.12.2021 को बिन्दूवार पेश करते हुवे मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 के आज्ञापक प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए विधि अनुसार की गई है एवं उक्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण उक्त अधिनियम, 1956 तथा RFCTLARR Act 2013 की प्रथम अनुसूची में वर्णित प्रावधानानुसार तथा राज्य व केन्द्रीय सरकार के नवीनतम नियमों की पालना कर प्रार्थी की उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा अवार्ड मय 100 प्रतिशत सोलेसियम की गणना कर जारी किया जा चुका है। प्रार्थी की उक्त अवाप्त भूमि का मुआवजा की गणना राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956की धारा 3ए के नोटिफिकेशन दिनॉक 11.03.2013 को निर्धारित डी.एल.सी. दर 86,13,600/–रूपये प्रति हेक्टेयर अर्थात 80/–रू प्रति वर्गफुट की दर से तथा ग्राम पंचायत लंगौड़ नगरपालिका क्षेत्र डेगाना में होने से वर्तमान में 01.01.2015 से RFCTLARR Act 2013 की प्रथम अनुसूची के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार शहरी क्षेत्रों की दशा में बाजार मूल्य को गुणा करने का कारक एक (1) के अनुसार व RFCTLARR Act 2013 की धारा 30 (1) के अनुसार 100 प्रतिशत सोलेशिसम राशि (तोषण राशि) एवं दिनॉक 11.03.13 से 15.07.15 तक का भूमि कीमत पर ब्याज (12 प्रतिशत) से नियमानुसार मुआवजा निर्धारित कर माननीय न्यायालय हाजा के द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 की अनुपालना में सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नागौर द्वारा मूल अवार्ड दिनॉक 15.07.2014 व संशोधित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 को पुनः संशोधित किया जाकर संशोधित अवार्ड दिनॉक 28.02.2020 पारित किया गया है। उक्त संशोधित अवार्ड कुल राशि–

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

95,07.060/–रू में से पूर्व में जारी अवार्ड राशि 16,64,917/–रू की कटौती करते हुए शेष अन्तर राशि 78,42,443/–रू हितबद्धधारी/प्रार्थी को भुगतान करने हेतु सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर के संयुक्त बैंक खाते में दिनॉक 06.07.2021 को लिमिट राशि रूपये 78,42,443/–स्थानांतरित कर भुगतान किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा उक्त अवार्ड राशि भुगतान अप्रार्थी सं.–3 के यहाँ से प्राप्त कर चुका है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इस स्तर पर अपरिपक्व होने से पोषणीय नहीं है,खारिज किये जाने योग्य है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद/रेफरेंस/इजराय क्लेम प्रार्थना–पत्र मय हर्जे खर्चे निरस्त फरमाया जावें।

3(2)– अप्रार्थीगण संख्या 1,2,4 के अभिभाषक द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 18.07.2023 को लिखित बहस पेश की हैं,जो संलग्न पत्रावली हैं। लिखित बहस में मुख्य रूप से जबाब प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः दोहराते हुवे मुख्य रूप से यह प्रकट किया हैं कि ग्राम लंगौड की अवाप्त भूमियों के साथ खसरा नंम्बर– 221 के स्थान पर नये खसरा नम्बर ख.न.– 442 की रकबा 0.4861 हेक्टेयर भूमि की अवाप्ति की गई है। सक्षम प्राधिकारी, नागौर के द्वारा ग्राम लंगौड की उक्त अवाप्त भूमि का मुअवाजा निर्धारण के सम्बन्ध में पूर्व में पारित मूल अवार्ड दिनॉक–15.07.2015 को पारित किया गया जिसे RECTLARR Act 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार उक्त ग्राम लंगौड की उक्त अवाप्त भूमि ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में हाने से RECTLARR Act 2013 की धारा 26 के अन्तर्गत उक्त ग्राम लंगौड की उक्त अवाप्त भूमि ग्राम लंगौड़ ग्राम पंचायत अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में होने की दशा में निकटतम शहरी क्षेत्र सीमा से प्रस्तावित परियोजना की दूरी के आधार पर देय प्रतिकर पैकेज के निर्धारण हेतु बाजार मूल्य को 0 से 10 कि.मी. तक 1.25 से कारक गुणित किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व ग्रुप (6) विभाग की अधिसूचना दिनॉक 14.06.2016 के अनुसार कारक निर्धारित कर मुआवजा निर्धारित किया गया था जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3ए के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक–11.03.2013 को 2,00,000/– रूपये प्रति बीघा (12,36,000/– रू प्रति हेक्टेयर) की डीएलसी दर से निर्धारित कर अवार्ड दिनॉक–15.07.2015 को पारित किया गया था। यहाँ यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि माननीय न्यायालय हाजा के समक्ष दायर वाद 119/2017 में पारित आदेश दिनॉक 07.10.2019 के बिन्दु संख्या 5 (5) में दिये गये आदेश की अनुपालना में सक्षम प्राधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर के द्वारा उक्त अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि की गणना 86,13,600/– रूपये प्रति हेक्टेयर अर्थात 80/– रू प्रति वर्गफुट की दर से वर्तमान में 01.01.2015 से RFCTLARR Act 2013 की प्रथम अनुसूची के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार अधिनियम 2013 की धारा 26 के अन्तर्गत ग्राम लंगौड़ नगरपालिका क्षेत्र डेगाना में होने के कारण शहरी क्षेत्रों की दशा में बाजार मूल्य को गुणा करने का कारक राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप (6) विभाग की अधिसूचना सं 26 दि. 14.06.2016 के अनुसार किमी पर कारक एक (1.00) निर्धारित किया गया है के अनुसार उक्त पुनः संशोधित अवार्ड आदेश दिनांक 28.02.2020 को राजस्व ग्रुप (6) विभाग की उक्त अधिसूचना के अनुसार गुणक कारक से गुणित कर मुआवजा विधि सम्मत निर्धारित कर पारित किया गया है। जो कि आवासीय भूमि व रोड़ के पास कृषि भूमि से 1000 व.मी. तक के भू–खण्डों के लिये निर्धारित 80/–रू प्रति वर्गफुट अर्थात 86,13,600/– रूपये प्रति हेक्टेयर राजस्व रिकार्ड एवं समस्त दस्तावेजों के अनुसार एकदम सही एवं विधि अनुसार पारित किया गया है, जिसमें संशोधन की कतैई कोई गुंजाइस नहीं है।

लिखित बहस में यह भी निवेदन किया हैं कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम,1956 के आज्ञापक प्रावधानों की पूर्ण पालना करते हुए विधि अनुसार की गई हैं,जिसमें अन्य अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। उक्त अवाप्त भूमि का मुआवता निर्धारण NH Act 1956 तथा RFCTLARR Act 2013 की प्रथम अनुसूची में विध्यमान प्रावधानों के अनुसार व केन्द्रीय सरकार के नवीनतम नियमों के पालना कर प्रार्थी की उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा आवार्ड मय 100 प्रतिशत सोलेसियम की गणना कर अवार्ड पारित किया गया हैं। दूरवर्ती क्षतियों एवं

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

हार्डशिव के मुआवजे को दिलाये जाने की कानून इजाजत प्रदान नहीं करता हैं। माननीय हाजा श्रीमान् आरबीट्रेटर/जिला कलक्टर,नागौर के समक्ष दायर वाद संख्या 119/2017 में दिनांक 07.10.2019 के बिन्दु संख्या 5(5) में दिये गये आदेश अनुसार उक्त पुनः संशोधित अवार्ड दिनांक 28.02.2020 में पारित अवार्ड राशि का भुगतान किया जाकर माननीय हाजा के आदेश की पालना की जा चुकी हैं। प्रार्थी ने बिना किसी आधार के उक्त परिवाद/इजराय प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं,जो कि पोषनीय नहीं होने से खारिज योग्य होने खारिज फरमाने की कृपा करें।

3(3)– विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने दौराने मौखिक बहस में भी मुख्य रूप से उपरोक्त कथनों को दौहराते हुवे यह कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 के बिन्दू संख्या 5(5) की अक्षरक्षः पालना करते हुवे संशोधित अवार्ड दिनांक 28.02.2020 को पारित किया जाकर अवार्ड राशि का भुगतान प्रार्थी को किया जा चुका हैं तथा प्रार्थी भुगतान प्राप्त कर चुका हैं। इसलिए अब प्रार्थी इस प्रार्थना–पत्र के तहत किसी प्रकार की ओर राशि की मांग नहीं कर सकता हैं। प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

4(1)– विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा वकील अप्रार्थी की लिखित बहस का जबाब दिनांक 12.09.2023 को पेश कर मुख्य रूप से इजराय प्रार्थना–पत्र में दर्ज तथ्यों को पुनः लिखित करते हुवे विशेष तौर से यह तथ्य अंकित किये हैं कि अवार्ड दिनांक 28.02.2020 स्वयं विधिक त्रुटि से ग्रसित होकर संशोधन योग्य हैं,चूंकि दिनांक 16.10.2015 को पारित अवार्ड की गणना करते समय प्राधिकृत अधिकारी ने भूमि का गुणक 1.25 लिया था तथा इस संबंध में कभी भी अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का उजर एतराज नहीं लिया गया। यही नहीं आर्बिट्रेटर महोदय ने भी इस परिपेक्ष्य में किसी भी प्रकार का आदेश पारित नहीं किया हैं परन्तु ऐसा प्रतीत होता हैं कि श्रीमान् प्राधिकृत अधिकारी महोदय ने स्वप्रसंज्ञान से पूर्व में लिये गये गुणक को बदल दिया अर्थात अवार्ड दिनांक 28.02.2020 की गणना करते समय 1.25 के गुणक के स्थान पर 1 का गुणक लिया गया जो कि सर्वथा ही विधि विरूद्व हैं। इस संदर्भ में माननीय न्यायालय का ध्यान धारा 3ए राजमार्ग अधिनियम,1956 में स्पष्ट प्रावधित हैं कि "केन्द्र सरकार अवाप्त होने वाली भूमि के संबंध में अधिसूचना जारी करेगी तथा हितबद्व व्यक्तियों से आपत्ति मंगवाई जाएगी। भूमि अवाप्ति प्रकरण में जिस दिनांक को सरकार सर्वप्रथम अपनी मंशा भूमि अवाप्ति के लिये जरिये घोषणा प्रकट करती हैं वह महत्वपूर्ण दिनांक होती हैं चूंकि तत्समय जो भी भूमि का प्रकार व किस्म होगी वो मुआवजे की राशि की गणना करने हेतु उपयोगी होगी।" वर्तमान प्रकरण में सरकार द्वारा धारा 3ए की घोषणा दिनांक 11.02.2013 को की गयी थी। तत्समय प्रार्थी की भूमि जो कि ग्राम लंगोड़,तहसील–डेगाना,जिला नागौर में स्थित थी वह भूमि ग्रामीण क्षेत्र की मानते हुए धारा 3ए की घोषणा की। इससे यह तात्पर्य हैं कि मुआवजे की गणना करते समय प्रार्थी की भूमि को ग्रामीण क्षेत्र की भूमि मानते हुए गुणक निर्धारित करना चाहिये था।

यह भी तथ्य प्रकट किये हैं कि दौराने अवाप्ति स्वायत्त शासन विभाग,जयपुर ने अपनी अधिसूचना दिनांक 20.09.2013 के द्वारा ग्राम पंचायत लंगोड़,जिला नागौर को चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका के रूप में गठित कर दिया जिस कारण उक्त प्रार्थी की भूमि शहरी क्षेत्र में आ गई। चूंकि धारा 3 ए की घोषणा के समय भूमि ग्रामीण क्षेत्र की थी।अतः प्राधिकरण अधिकारी महोदय से यह अपेक्षित था कि वे गुणक का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्र की भूमि के अनुसार कर मुआवजे की राशि का निर्धारण करेगें । परन्तु ऐसा प्रतीत होता हैं कि माननीय प्राधिकृत महोदय ने अपेक्षित कानूनों एवं नियमों को ताक पर रखकर स्वयं के मनमाफिक तरीके से गुणक निर्धारण किया हैं। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की गई मनमानी दिनांक 16.10.2015 के अवार्ड एवं 28.02.2020 के अवार्ड में साफ तौर पर जाहिर होता हैं कि जहां उन्होंने 16.10.2015 के अवार्ड में भूमि का गुणक 1.25 लिया था। वही 28.02.2020 के अवार्ड की गणना में भूमि का गुणक 1 लिया था जिसका कोई स्पष्ट आधार अवार्ड में वर्णित नहीं हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

लिखित बहस में यह भी निवेदन किया गया हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.06.2016 के अनुसार भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजा एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम,2013 की धारा 30 के अन्तर्गत निकाला गया हैं। उक्त अधिसूचना के अनुसार यदि ग्रामीण क्षेत्र की भूमि निकटस्थ शहरी क्षेत्र से 10 किमी. से कम हो तो उन परिस्थितियों में 1.25 का गुणक काम में लिया जायेगा,10 किमी. से अधिक परन्तु 20 किमी. से कम है तो 1.50, 20 से 30 किमी. हो तो 1.75 तथा 30 किमी. से अधिक हो तो 2 का गुणक लगेगा। इन परस्थितियों में जब धारा 3ए की घोषणा की गई उस समय ग्राम लंगोड़ से निकटस्थ शहरी निकाय कुचेरा जो कि लगभग 39.7 किमी. की दूरी पर हैं तथा मेड़ता जो कि 51 किमी. की दूरी पर हैं अतः इस प्रकरण में प्रार्थी की भूमि के मुआवजे की गणना के लिए 2 का गुणक काम में लिया जाना न्यायोचित हैं परन्तु ऐसा प्रतीत होता हैं कि प्राधिकृत अधिकारी महोदय द्वारा उक्त अधिसूचना को अनदेखा करके स्वयं के स्तर पर गुणक का निर्धारण कर दिया हैं। इसलिए निवेदन हैं कि प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर माफिक प्रार्थना–पत्र अवार्ड संशोधन फरमाया जावें एवं माननीय आर्बिट्रेटर के आदेश दिनांक 07.10.2019 की पालना सुनिश्चित करवायी जाने का आदेश प्रदान करावें।

4(2)– विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा मौखिक बहस में अपने प्रार्थना–पत्र एवं लिखित बहस के तथ्यों को दोहराते हुवे मुख्य रूप से यह कथन किया कि प्रार्थी को पूर्व में जारी अवार्ड में मुआवजा की राशि का 1.25 गुणक काम में लिया गया हैं परन्तु पुनः संशोधित अवार्ड में बिना किसी आधार एवं बिना किसी आदेश के अपने स्वविवेक से राशि 1 गुणक काम में लिया गया जो गलत हैं। इसलिए मुआवजा राशि 1.25 गुणक से मय ब्याज से दिलवायी जावें। अन्य मांग जो हमारी प्रार्थना–पत्र में एवं लिखित बहस में दर्ज हैं उसी अनुसार संशोधित अवार्ड जारी किया जावें।

5–वकुलाय की लिखित बहस का अवलोकन किया एवं मौखिक बहस मनन किया, सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या–119/2017 सलीम बनाम भारत संघ वगैरह में पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 की पालना सुनिश्चित करवाई जाने हेतु हस्तगत इजराय प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हैं।

5(1)– मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या–119/2017 में दिनांक 07.10.2019 को आदेश पारित कर स्पष्ट आदेश दिया कि ***"हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा 80 रूपये प्रतिवर्ग फुट से भूमि का बाजार मूल्य स्वीकार कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(1) व 3जी(2) के तहत मुआवजा निर्धारण कर भुगतान किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति अप्रार्थी संख्या–3 व 4 को पालनार्थ भिजवाई जावे।"*** उक्त निर्णय की पालना में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर ने दिनांक 28.02.2020 को प्रार्थी पक्ष में अवार्ड पारित कर प्रार्थी की मौजा लंगौड के खसरा नं. 442 अवाप्त रकबा 0.4861 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा 80 रूपये प्रति वर्गफुट अर्थात 86,13,600/–रूपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से गणना कर कुल देय राशि 95,07,060/–रूपये में से पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 16,64,617/–रूपये कम करते हुए भुगतान योग्य अतिरिक्त राशि 78,42,443/– रूपये का अवार्ड पारित किया गया है, जो मुआवजा राशि प्रार्थी द्वारा प्राप्त की जा चुकी है।

5(2)–प्रार्थी द्वारा हस्तगत इजराय प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या–119/2017 सलीम बनाम भारत संघ प्रकरण में स्वंय की अवाप्त भूमि, स्ट्रक्चर, पेड़ आदि के मुआवजे के संबंध में उपर्युक्तानुसार किये गये कथनानुसार पुनः इस इजराय प्रार्थना पत्र में कथन किये है। साथ ही इजराय प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व अवार्ड दिनांक 16.10.2015 में भूमि का गुणक 1.25 लेने और अब पारित अवार्ड दिनांक 28.02.2020 में गुणक 1 बिना किसी आधार के लगाने एवं धारा 3ए की घोषणा के समय ग्राम लंगोड से निकटस्थ शहरी निकाय कुचेरा की लगभग 39.7 किमी दूरी पर होने तथा मेड़ता की दूरी 51 किमी होने से प्रार्थी की भूमि के मुआवजे की गणना के लिए 2 का गुणक काम लिया जावें मुआवजा तय

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

किया जावें। उक्त संबंध में उल्लेखनीय हैं कि जब प्रार्थी द्वारा उसकी अवाप्त भूमि, स्ट्रक्चर, पेड़ आदि के मुआवजे आदि के संबंध में पूर्व में न्यायालय हाजा में मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या–119/2017 प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा विधिवत सुनवाई कर दिनांक 07.10.2019 को आदेश पारित किया जा चुका है, यदि प्रार्थी न्यायालय हाजा के उक्त आदेश से असंतुष्ठ है तो उक्त निर्णय दिनांक 07.10.2019 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चाराजोही प्रार्थी को करनी चाहिए। अब हस्तगत इजराय प्रार्थना पत्र में पुनः स्वंय की अवाप्त भूमि, स्ट्रक्चर, पेड़ आदि के मुआवजे अथवा भूमि के मुआवजे में गुणक 2 देने का जो कथन किया है, वह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। प्रार्थी द्वारा इजराय प्रार्थना पत्र के अन्त में इस्तदुआ में भी न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 की पालना सुनिश्चित करवाई जाने का निवेदन किया है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी प्रकरण में पारित निर्णय/आदेश की पालना संबंधित पक्षकार द्वारा नहीं किये जाने पर व्यथित पक्षकार द्वारा जिस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जाता है उसी न्यायालय में निर्णय की पालना हेतु इजराय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है। प्रार्थी द्वारा हस्तगत इजराय में भी न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 की पालना सुनिश्चित करवाई जाने का निवेदन किया है। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 07.10.2019 की पालना में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर ने दिनांक 28.02.2020 को प्रार्थी के पक्ष में अवार्ड पारित कर प्रार्थी की मौजा लंगौड के खसरा नं. 442 अवाप्त रकबा 0.4861 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा 80 रूपये प्रति वर्गफुट अर्थात 86,13,600/–रूपये प्रति हैक्टेयर के हिसाब से गणना कर कुल देय राशि 95,07,060/–रूपये में से पूर्व में जारी अवार्ड की राशि 16,64,617/– रूपये कम करते हुए भुगतान योग्य अतिरिक्त राशि 78,42,443/–रूपये का अवार्ड पारित किया जा चुका है, जो मुआवजा राशि प्रार्थी द्वारा प्राप्त कर ली गई है। इससे स्पष्ट हैं कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 की पालना में प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर ने दिनांक 28.02.2020 को प्रार्थी पक्ष में संशोधित अवार्ड पारित कर अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा दर 80 रूपये प्रति वर्गफुट के हिसाब से तय की गई, जो उचित है।

5(3)–जहां तक प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर द्वारा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 की पालना में पारित अवार्ड दिनांक 28.02.20 में गुणक 1 लगाया जाने का प्रश्न हैं, उसके संबंध में वकील अप्रार्थी द्वारा कथन किया गया है कि ग्राम लंगौड नगरपालिका क्षेत्र डेगाना में शहरी क्षेत्र होनें की दशा में बाजार मूल्य को गुणा करने के कारक 1.00 से गुणित कर मुआवजा निर्धारण किया है। उक्त संबंध में यहां यह उल्लेखनीय है कि प्राधिकृत अधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 15.07.2015,16.10.2015 एवं 06.05.2016 के विरूद्ध धारा 3(छ) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, संशोधन अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) अधिनियम 1967 सपंठित धारा 21 माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम 1996 के तहत मध्यस्थता प्रार्थना पत्र दिनांक 16.10.2017 को न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया, जिस पर न्यायालय हाजा में मध्यस्थता प्रार्थना पत्र संख्या–119/2017 सलीम बनाम भारत संघ वगैरह दर्ज बाद सुनवाई प्रकरण में दिनांक 07.10.2019 को आदेश पारित कर स्पष्ट आदेश दिया कि ***"हस्तगत प्रकरण में अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा 80 रूपये प्रतिवर्ग फुट से भूमि का बाजार मूल्य स्वीकार कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(1) व 3जी(2) के तहत मुआवजा निर्धारण कर भुगतान किये जाने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति अप्रार्थी संख्या–3 व 4 को पालनार्थ भिजवाई जावे।"*** उक्त आदेश अनुसार अप्रार्थी संख्या–3 प्राधिकृत अधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर एवं अप्रार्थी संख्या–4 प्रोजेक्ट मैनेजर, नेशनल हाईवे, आर्थोरिटी ऑफ इण्डिया, पीआईयू– अजमेर–104 आदर्श नगर अजमेर है। उक्त आदेश दिनांक 07.10.2019 में अप्रार्थी नेशनल हाईवे के अधिवक्ता श्री राकेश धनकड़ की बहस के बिन्दु संख्या–3(3) के अनुसार संशोधित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 को प्रार्थी के पक्ष में कुल 16,64,617/–रूपये का संशोधित अवार्ड पारित

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

किया गया है, उक्त अवार्ड मुआवजा निर्धारण सारणी का अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम लंगोड़ के खसरा नम्बर 442 किस्म भूमि बारानी अवाप्त रकबा 0.4861 का प्रार्थी सलीम पुत्र मोहम्मद कौम छींपा मुसलमान सा. डेगाना के पक्ष में कुल 16,64,617/–रूपये के मुआवजे का निर्धारण किया गया है, इसी मुआवजा निर्धारण की सारणी में गुणक/कारक 1.25 लगाया गया है, न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 07.10.2019 को आदेश पारित कर केवल मात्र अवाप्त भूमि का मुआवजा 80 रूपये प्रतिवर्ग फुट से भूमि का बाजार मूल्य स्वीकार कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3जी(1) व 3जी(2) के तहत मुआवजा निर्धारण कर भुगतान किये जाने का आदेश दिया गया था। उक्त आदेश में गुणक/कारक की दर में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का आदेश नहीं दिया गया था, इसके बावजूद प्राधिकृत अधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर नागौर द्वारा संशोधित अवार्ड दिनांक 28.02.2020 में गुणक 1.25 के स्थान पर 1.00 लगाया गया है, जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। उक्त संबंध में वकील अप्रार्थी द्वारा हस्तगत प्रकरण में बहस में कथन किया है कि ग्राम लंगोड नगरपालिका क्षेत्र डेगाना में शहरी क्षेत्र होने की दशा में बाजार मूल्य को गुणा करने के कारक 1.00 से गुणित कर मुआवजा निर्धारण किया है। परन्तु वकील अप्रार्थी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि प्राधिकृत अधिकारी (भूमि अवाप्ति) अतिरिक्त कलक्टर नागौर द्वारा पूर्व में पारित उपर्युक्तानुसार संशोधित अवार्ड दिनांक 16.10.2015 की मुआवजा सारणी में कारक/गुणक 1.25 किस आधार पर लगाया गया था। इसलिए विद्वान वकील अप्रार्थी का उक्त कथन उचित नहीं है।

6–अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हस्तगत इजराय प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्राधिकृति अधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, नागौर द्वारा पारित अवार्ड संशोधित अवार्ड दिनांक 28.02.2020 में गुणक जो 1.00 लगाया गया है, उसके स्थान पर प्रार्थी के प्रकरण में गुणक 1.25 अनुसार गणना करते हुए तदनुसार भूमि का मूल्य, तोषण एवं क्षतिपूर्ति मुआवजा का निर्धारण प्रार्थी के पक्ष में किया जाकर, प्रार्थी को उसकी भूमि अवाप्ति के संबंध में पूर्व में भुगतान की गई राशि को कम करते हुए भुगतान किया जावे। आदेश की प्रति अप्रार्थी संख्या–3 व 4 को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0 अमित यादव)
मध्यस्थ एवं जिला कलक्टर,
कलक्टर नागौर